77
4:50 PM

संo– 1373/IV(2)-श0वि0–2013–29(सा0)–2013

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 02 जनवरी, 2014 ~~दिसम्बर, 2013~~

विषय : नव गठित नगर पंचायतों को कार्यालय स्थापना एवं कार्यालय व्यय हेतु अवस्थापना विकास निधि से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गत वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में गठित नवीन नगर पंचायतों यथा–गैरसैंण (जिला चमोली), चिन्यालीसौड़ (जिला उत्तरकाशी), पुरोला (जिला उत्तरकाशी), ऊखीमठ (जिला रूद्रप्रयाग), स्वर्गाश्रम जौंक (जिला पौड़ी गढ़वाल), गंगोलीहाट (जिला पिथौरागढ) अगस्तमुनि (जिला रूद्रप्रयाग), कपकोट (जिला बागेश्वर) एवं पोखरी (जिला चमोली) को संगठनात्मक ढांचे एवं धनराशि की अनुपलब्धता के कारण क्रियाशील नहीं किया जा सका है, जबकि उक्त नवीन नगर पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा कार्यभार भी ग्रहण कर लिया गया है। नवगठित नगर पंचायतों को क्रियाशील किये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्रांक–1580/ श0वि0नि0–892/ न0पं0–गंगो0/2011, दिनांक 11.10.2013 के माध्यम से उपलब्ध कराए गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त नवगठित नगर पंचायतों के कार्यालय स्थापना के लिए नितान्त आवश्यक एवं Most Economical उपकरण/वस्तुओं के क्रय हेतु प्रति नगर निकाय ₹4.50 लाख, इस प्रकार उपरोक्त 09 नगर निकायों हेतु **कुल ₹4.50 X 09 = 40.50 लाख (₹ चालीस लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि **₹40.50 लाख (₹ चालीस लाख पचास हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार प्रत्येक नवगठित नगर निकाय हेतु निर्धारित धनराशि **₹4.50 लाख** उन्हें बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
3. उक्त धनराशि का दिनांक 31–3–2014 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
4. केन्द्रीय व राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि को प्राप्त करने का प्रयास वित्त आयोग निदेशालय से समन्वय स्थापित कर किया जायेगा।
5. नियमित व पर्याप्त आय प्राप्त करने हेतु नवगठित नगर पंचायतें त्वरित आधार पर कार्यवाही करेंगे।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13** के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास– 03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–

आयोजनागत– 191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–'20 सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28–03–2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–S.14011300007 ——— के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

सं0– 1373 (1)/IV(2)-श0वि0–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
उप सचिव।